तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज जईदा बेगम बनाम लो.सू.अ. (उपखण्ड अधिकारी औसियां) सू.अ.अ. अपील संख्या 95/2019	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.07.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी जईदा बेगम पत्नी अब्दुल समद निवासी मियां का घेर, राजमहल स्कूल के पास, जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 05.04.2019 में उसके द्वारा (1) कार्यालय श्रीमान् न्यायालय डिवीजनल कमीश्नर जोधपुर के कार्यालय पत्रांक कोर्ट/डी.सी./15/261 दिनांक 12.06.15 द्वारा प्रति प्रेषित उक्त प्रकरण की वर्तमान स्थिति से अवगत कराने, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी औसियां) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी औसियां) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(उपखण्ड अधिकारी औसियां) से से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी औसियां) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना रिकॉर्ड पर उपलब्ध होने पर प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	